निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई॰ए॰एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 154/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

लाला पुत्र बोदू जाति जाट निवासी ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री योगेश कुमार देवल आर॰ए॰एस॰ उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर।
2. गोपाल पुत्र श्री नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू , जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 144/2022 ब उनवानी लाला व अन्य बनाम तहसीलदार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री राकेश कुमार पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री शशि शेखर गौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.04.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 144/2022 ब उनवानी लाला व अन्य बनाम तहसीलदार व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शशि शेखर गौड ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 22.01.2025 को जिरह पूर्ण होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में अप्रार्थी संख्या 1 के साथ अप्रार्थी संख्या 2 चाय पीकर बाहर निकला तथा बाहर निकल कर अपने अधिवक्ता से कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 वाद पत्र को खारिज कर देगा। इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 से हर प्रकार से स्पष्ट बात हो चुकी है । इन सब बातों को प्रार्थी स्वयं ने अपने कानों से सुना एवं आंखों से देखा जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी को कथन किया कि कानून की लडाई कानून से लड़े, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने अधिवक्ता के साथ हंस कर प्रार्थी की मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह तो सप्ताह भर में आपको पता चल

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जायेगा कि काननू की जीत होती है या हमारी जीत होती है और कथन किया कि कानूनी रूलिंग कहीं काम नहीं करती है, जब हमारी मनीपुर की रूलिंग चलेगी। इस पर प्रार्थी काफी घबरा गया और यह सारी बात अपने अन्य भाईयों एवं परिवार को बतायी और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उनको भी इस बारे में अवगत करवाया एवं कानूनी राय लेकर कानून अनुसार यह प्रार्थना पत्र शीघ्रातिशीघ्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय से उसे अब कानूनी रूप से न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर